न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 147/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र बादाम जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र मूला – मृतक
   2/1. रन्नो पुत्र राजेन्द्रसिंह
3. फूलू पुत्र भीमसिंह,
4. रामदयाल पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पाडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 6.3.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा एवं हुक्म ईक्म्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 541 रकबा 6 बिस्वा गै0मु0 चाह वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है जो साबिक ख0 नं0 390 रकबा 6 बिस्वा से बना है । मूला, फूल, रामदयाल सगे भाई है जिनमें से मूला फौत हो गया है जिसके वारिस तर0 प्रति0 सं0 4–5 है । रूपसिंह बिला औरत फौत हो चुका है जिसका एकमात्र वारिस उसके सगे भाई बादाम का पुत्र वादी हरिसिंह है । तर0 प्रतिवादी सं0 1 के पिता मूला गांव के लम्बरदार, विश्वेदार थे । उक्त विवादित चाह करीब 70–80 साल पहले

वादी के पिता बादाम को ताउ रूपसिंह तथा प्रतिवादी सं0 1 के पिता मूला व तर. प्रतिवादी सं0 4–5 स्वयं द्वारा अन्य आराजी को वास्ते सिंचाई शामलाती बनाया गया । उनकी खुद कब्जे काश्त खातेदारी का पुख्ता चाह है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है तथा तर0 प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है जो हिस्सा मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन लागू होने के पूर्व से ही मौके पर खुद कब्जे काश्त में है जो चाह वादी व तर0 प्रति0 को सदैव से खुद मकबूजे मालकान का है जिस विवादित आराजी गै0मु0 चाह बाबत वादीगण व तर0 प्रति0 को कानूनी प्रावधानों के तहत स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । बन्दोबस्त कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्ध तरीके से कानून के आदेशात्मक प्रावधानों के विरूद्ध उक्त विवादित चाह को वादी एवं तर0 प्रति0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में दर्ज ना कर सिवायचक / पहाड़ एवं पर्वत, नदी, नाले, पानी के नीचे डूबे हुए स्थान के खाने में दर्ज कर दिया जबकि उक्त विवादित आराजी चाह वादी व तर0 प्रति0 को उन्हें बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ मिली । अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 6.3.2006 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 6.3.2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय का यह मानना कि सैटलमेन्ट विभाग को पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करना चाहिए था परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी / रेस्पो0 द्वारा सैटलमेन्ट सम्वत् 2028 से पूर्व की कोई जमाबन्दी तहत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल मात्र सम्वत् 2011 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसके आधार पर वादी/रेस्पो0 को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तहत न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 द्वारा अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व जुबानी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है और विवादित आराजी काबिल काश्त भूमि नहीं है । जब वादी/रेस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा ही प्रमाणित नहीं था तो तहत न्यायालय ने तनकी नं0 2 का निर्णय वादी के पक्ष में कराने में अहम कानूनी गलती की है । विद्वान तहत न्यायालय ने यह भी जांच नहीं की कि विवादित आराजी गै0मु0 चाह कैसे दर्ज की गई है जबकि राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी पहाड़, नदी नाले के खाते की आराजी है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नदी नाले व पहाड़ की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सके हैं । विद्वान तहत न्यायालय ने उक्त नजीर को भी ध्यान में ना रखते हुए अपीलांट को दस्तावेजी व जुबानी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें ।

22/3

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी रेस्पो0 के नाम खातेदार काश्तकार में तहत न्यायालय ने सही दर्ज की है एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज सिवायचक व पहाड़ी, पर्वत, नदी, नाले, पानी के नीचे डुबे हुए स्थान का अंकन का अवलोकन पैरोकार सरकार ने सही नहीं किया है । जमाबन्दी के खाता सं0 1 में सरकारी जमीनों का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार पहाड़ व पर्वत की भूमि शून्य है । नदी व नाले की भूमि शून्य है तथा ख0 नं0 541 रकबा 6 बिस्वा गै0मु0 पहाड़ का जो अंकन है, वह पानी के नीचे डूबे हुए स्थान के रूप में दर्ज है । इस प्रकार यह आराजी कहीं भी धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों के रूप में दर्ज नहीं है । बन्दोबस्त पूर्व यह जमीन अपीलांट व तरतीबी प्रतिवादी की खातेदारी में हिस्से अनुसार दर्ज थी, परन्तु बन्दोबस्त ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी जो खिलाफ कानून व मौका है । रेस्पो0/वादी अभिभाषक ने कानूनी नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि बन्दोबस्त को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह खातेदारी की आराजी को बदल दे । बन्दोबस्त का तो वही पुराने इन्द्राज दोहराने चाहिए । अपीलांट का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पेज 1110, आर.आर.डी. 2009 पेज 150, आर.आर.डी. 2002 पेज 26, आर.बी.जे. 1999 पेज 292, आर.आर.डी. 1969 पेज 231, आर.बी.जे.2009 पेज 578 एवं आर.बी.जे. 2003 पेज 118 प्रस्तुत की । रेस्पो0 अभिभाषक ने मियाद अधिनियम के बिन्दु पर कहां है कि सरकार के विरूद्ध पारित निर्णय की अपील स्वयं सरकार द्वारा लगभग 10 वर्ष बाद की गयी है । उनकी ओर से डिले कन्डोन का कोई आधार नहीं दिया गया है । अतः इस बिनाय पर भी अपील अपीलांट काबिले खारिजी के है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय की अनेक नजीरों में दफा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए निस्तारण करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील अन्दर शुमार की जाती है ।

साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2013 के अनुसार ख0 नं0 390 साबिक रकबा 6 बिस्वा गै0मु0 चाह, जमाबन्दी के कॉलम नं0 4 के अनुसार मूली, फूला, रामदयाल पि0 भीमसिंह प्रत्येक समान भाग, निस्फ जाति जाट सा0देह दर्ज है तथा कॉलम नं0 5 में मकबूजा मालकान है । इसका तात्पर्य यह है कि यह गै0मु0 चाह वादी/रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज रही है । अतः इस एक्ट के समाप्ति पर भी मकबूजा मालकान के आधार पर वादी/रेस्पो0 स्वयं ही खातेदार काश्तकार हो जाते हैं । भू-प्रबन्ध विभाग ने सम्वत् 2028 में इसे सिवायचक लगानी गै0मु0 चाह ख0 नं0 541 रकबा 6 बिस्वा के रूप में दर्ज कर दी जिसे उसे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था ।

23/3

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में इसे इसी प्रकार से माना है तथा रेकार्ड की कानून के अनुसार सही व्याख्या करते हुए उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजायश नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय व डिक्री दि0 6.3.2006 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर